



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15196

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45337 वर्ष 2025

जुनेद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राकेश कुमार मौर्य, श्वेता सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अशोक त्रिवेदी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान एजीए और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक त्रिवेदी की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आवेदक **जुनेद** द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उसे

मुकदमा अपराध संख्या 329/2024, धारा 191 (2), 191 (3), 190, 109, 103, 61 (2) बीएनएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और धारा 5/27 (1) शस्त्र अधिनियम, पुलिस स्टेशन-सिविल लाइंस, जिला-अलीगढ़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 25.07.2024 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनादाता द्वारा आवेदक और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित चार नामजद व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि घटना वाले दिन प्रथम सूचनादाता के पति, नदीम महमूद और उनके बहनोई, कलीम महमूद, अपने कार्यालय जा रहे थे, तभी आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान प्रथम सूचनादाता के पति, नदीम महमूद की मृत्यु हो गई। अभियोजक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है। काफी देर तक बहस करने के बाद, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक पिछले छह महीनों से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्योंकि वर्तमान मामले में फंसाए जाने के बाद, उसी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 90/2025, गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत, पुलिस स्टेशन-सिविल लाइंस, जिला-अलीगढ़ में झूठा फंसा दिया है। और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है। आवेदक को गोली मारकर चोट पहुंचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। वह आगे यह भी कहता है कि प्रथम सूचनादाता ने न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही अपने बयान में आवेदक को गोली लगने से घायल करने में किसी विशिष्ट भूमिका का उल्लेख किया है। वह आगे यह भी कहता है कि घायल कलीम महमूद ने सभी आरोपियों को सामान्य भूमिका सौंपी है। वह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी कहता है कि आवेदक के कहने पर बरामद की गई एक देसी पिस्तौल को जानबूझकर रखा गया है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। घायल ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि आवेदक सहित सभी आरोपियों ने उसे और मृतक को गोली मारकर घायल किया है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण **"गोली लगने से हृदय-फुफ्फुसीय अवरोध"** बताया गया है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, वह पिछले छह महीनों से जेल में बंद है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय एक मामले के जो उसी पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है जिसका उल्लेख पूरक हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 2 में किया गया है।

अपराध की प्रकृति, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/सबूतों, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त मामले में आरोपी जुनैद को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानती और निजी मुचलके प्रस्तुत करें। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आरोपी किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आरोपी अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

21 जनवरी 2026

रवि प्रकाश

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।